राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःसंस्था/एटी/चिअ/2018/ 273 दिनांक 06.08.2018

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य के मेडिकल कालेजो से विभिन्न विशिष्ठताओं में सेवारत कोटे से पीजी डिग्री/डिप्लोमा (MD/MS) पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 27.07.2018 को चिकित्सा संस्थानों पर पदस्थापन किया गया है। राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पीजी चिकित्सकों ने उनके पदस्थापन स्थान पर अभी तक कार्यग्रहण नही किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आम जन को चिकित्सा सुविधाये उपलब्ध होने में असुविधा हो रही है।

अतः सभी पदस्थापित चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 08.08.2018 तक आवश्यक रूप से नव-पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें, अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ बॉड राशी की वसूली की कार्यवाही भी की जावेगी। इसके साथ ही सेवारत कोटे से पीजी चिकित्सकों का राजस्थान मेडिकल कौंसिल से पंजियन निरस्त करने की कार्यवाही पर भी विचार किया जावेगा।

यहॉ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 एंव पूर्व वर्षो में सेवारत कोटे से पीजी डिग्री/डिप्लोमाधारी चिकित्सकों ने कार्यग्रहण नही किया है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एंव बॉड राशी की वसूली की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(डॉ० वी०के० माथुर)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा,स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।